आई० एम० एस० कानून में क्या-क्या वर्जित है ?

आई० एम० एस० कानून क्यों बना ?

माँ के दूध का विकल्प एवं शिशु आहार बनाने वाली कम्पनियो, अनैतिक व्यापारिक तरीके, खास कर विज्ञापनों के जरिये, अपने उत्पादन को बेचने की कोशिश करती हैं।

माँ के दूध के बदले डिब्बे का दूध पिलाने से बच्चों में कुपोषण एवं अन्य बीमारियाँ को बढ़ावा मिलता है। डिब्बे का दूध पिलाना, बच्चों में मौत और बीमारी को बुलावा देना है। अतः भारत सरकार ने 1992 में **"शिशु दूध विकल्प, दूध के बोतल एवं शिशु आहार का (उत्पादन, वितरण एवं आपूर्ति) अधिनियम ,1992"**, **("आई० एम० एस० कानून")** बनाया है। इस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार शिशु के लिए डिब्बे का दूध, खाद्य पदार्थ, एवं दूध पिलाने के बोतल का उत्पादन, वितरण एवं आपूर्ति पर नियंत्रण रखती है।

इस कानून के होते हुए भी, बचाव का रास्ता निकाल कर शिशु खाद्य पदार्थ के उत्पादनकर्त्ता अभी भी बाजार में इन सभी चीजों का कानून के विरूद्ध वितरण एवं प्रचार करती आ रही है, जिससे कि माताओं का अपने दूध और घर पर बनाये हुए खाद्य पदार्थ की पौष्टिकता पर से विश्वास उठ जाता है। इसलिए 2003 में इस कानून का संशोधन किया गया।

बी० पी० एन० आई० ने इस **आई० एम० एस० कानून 2003 के संशोधन** का विश्लेषण किया है और इसके प्रावधान का सरल रूपान्तरण किया है।

1. हर प्रकार के शिशु आहार जो दो साल से कम के बच्चों के लिए है, उसका प्रचार उत्पादक द्वारा वर्जित है

इस कानून के तहत 'प्रचार' का मतलब किसी भी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से इन खाद्यपदार्थो की खरीददारी को बढ़ावा देना है।

अक्सर कम्पनियाँ इन खाद्यपदार्थो को सीधे स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता जैसे कि डाक्टर, नर्स व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं द्वारा इन वस्तुओं का अप्रत्यक्ष प्रचार व वितरण कराती है, किसी डाक्टर का इन खाद्यपदार्थो का नियमित रूप से सेवन करने की सलाह देना जहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है।

इस कानून के तहत किसी भी खाद्यपदार्थ का प्रचार जो 2 वर्ष से कम के शिशु के लिए है पूरी तरह वर्जित है।

2. हर तरीके का प्रचार किसी भी माध्यम से

किसी भी सामग्री का प्रचार, उसका वितरण बढ़ाने में सहायक होता है। यह प्रचार टी० वी०, रेडियो, मैंगजीन एवं समाचार पत्र में सटीक मुहावरों और कहावतों से किया जाता है और माताएँ इससे प्रभावित हो जाती हैं।

आई० एम० एस० कानून के अंतर्गत इन सभी तरीकों के प्रचार वर्जित है। जैसे : –

- **लिखित माध्यम –समाचार पत्रिका, मैंगजीन, बिलबोर्ड, पर्चा इत्यादि।**
- **इलेक्ट्रॉनिक माध्मय – टी० वी०, मोबाईल फोन, रेडियो इत्यादि।**
- **या किसी और तरीके से ।**

3. उपहार व सैम्पल जो माताओं एवं स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता को दिया जाता है

एक अन्य तरीका उपहार एवं फ्री सैम्पल देकर माताओं को उन्हें रिझाने की कोशिश करना है। कई बार ऐसी योजनाएँ अपनायी जाती है जो शिशु के लिए डिब्बे का दूध, खाद्यपदार्थ एवं दूध के बोतल, के साथ उपहार दिया जाता है। माँ इस वस्तु से आकर्षित हो कर खाद्यपदार्थ खरीद लेती है और कम्पनी के लिए नये ग्राहक तैयार हो जाते हैं। इस कारण स्तनपान कराने वाली माताओं में कमी हो जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत

- **ऐसे खाद्यपदार्थो व उपहार का वितरण डाक्टर, नर्स, गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु की माताओं को देना पूरी तरह से वर्जित है।**
- **किसी गर्भवती या नवजात शिशु की माँ को अस्पताल, घर या बाजार में इन खाद्यपदार्थ बनानेवाली कम्पनी द्वारा सम्पर्क या वितरण वर्जित है।**

4. दान में दी गयी शैक्षिक कागजात, पर्ची, वस्तु या चिकित्सकीय उपकरण

शैक्षिक वस्तु जो कम्पनी द्वारा खुद या किसी ओर कम्पनी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है वह अक्सर भ्रामक होता है और गलत अवधारणा फैलाता है। यह स्तनपान के महत्व को कम करता है।

आई० एम० एस० कानून के अंतर्गत **शिशु खाद्धपदार्थ के सैम्पल शैक्षिक सामग्री एवं उपकरण स्वास्थ्य प्रणाली या माताओं को दान देना वर्जित है।**

5. बच्चों के खाद्य पदार्थ के लेबल पर माँ या बच्चों का चित्र

उनके प्रचार एवं उन्हें ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कम्पनियाँ अपनी सामग्री पर अक्सर खिलौनों, जानवरों एवं माँ–बच्चों के चित्र का इस्तेमाल करते हैं। स्वस्थ बच्चों का चित्र, ऐसे सामग्री पर इस्तेमाल होने से वह पदार्थ माताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और इन पदार्थो के अवगुण से उनका ध्यान हट जाता है।

इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत **किसी शिशु या माँ के चित्र का इस्तेमाल इन खाद्यपदार्थो के प्रचार एवं वितरण में वर्जित है।**

6. स्वास्थ्य प्रणाली में स्पौनसरशिप एवं प्रदर्शनी

ऐसा देखा गया है कि दूध बनाने वाली कम्पनियाँ अपनी सामग्री के प्रचार के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का इस्तेमाल करती है। इस आहार के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं के बीच पत्रिकाओं का वितरण करती है, जिनमें अक्सर अप्रासंगिक और भ्रामक बातें लिखी जाती है। उसका प्रभाव इन कार्यकर्त्ताओं पर पड़ता है और वो माताओं को इन खाद्यपदार्थो का इस्तेमाल करने का सलाह देती है।

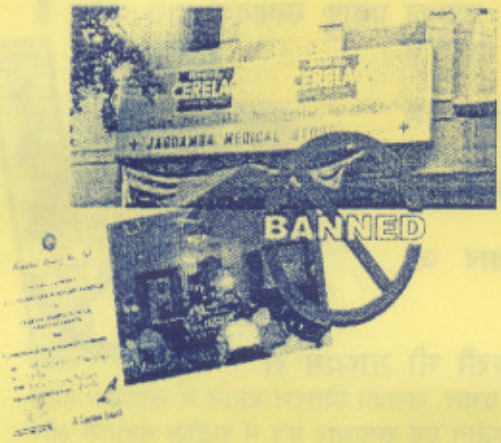

ये कम्पनियों अक्सर डाक्टरों के कॉनफ्रेंस, मीटिंग, शोध कार्य, छात्रवृति स्पोन्सर करती है अस्पताल एवं दवाई दुकान के नाम के साथ अपना नाम जोड़कर प्रचार करते है । यह सभी तरीके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार के लिए आई0 एम0 एस0 कानून का उल्लंघन करता है।

स्वास्थ्य प्रणाली में आई0 एम0 एस0 कानून

- **प्रदर्शनी जैसे कि पोस्टर, बड़े–बड़े बिल्ले एवं प्रोत्साहन का सामान का वितरण अस्पताल या दवा दुकान में मना करता है।**
- **स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता या उसके परिवार को, किसी तरह का पैसा या उपहार देना मना करता है।**
- **सेमिनार, मीटिंग, कॉनफ्रेंस, कोनटेस्ट, फेलोशिप, शोधकार्य में स्पौन्सरशिप या दान देना मना करता है।**

7. कम्पनियों द्वारा अपने स्टाफ को दूध आहार के वितरण के लिए कमीशन देना।

एक सबसे सटीक तरीका जो कम्पनियाँ अधिकतर अपनाती है वह है, अपनी सामग्री के बिक्री की बढ़ोतरी करने से उस सेल्समैन को कमीशन देना। अपनी कर्मचारियों को कम्पनी "सेल टारगेट" देती है जिस पर उन्हें कमीशन मिलता है। जितना ज्यादा बिक्री उतना ज्यादा कमीशन।

आई0 एम0 एस0 कानून के अंतर्गत कमीशन देकर अपनी बिक्री बढ़ाना वर्जित है।

कुछ एक्शन आईडिया :– इन कम्पनियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखिये।

- इन कम्पनियों को नियंत्रण में रखिये और किसी भी तरह के उल्लंघन को अपने एम0 एल0 ए0, एम0 पी0, राज्य एवं केन्द्रीय स्त्री एवं बाल कल्याण विभाग में पत्र द्वारा खबर कीजिए।
- अगर इस नियम का उल्लंघन टेलीविजन पर देखें, तो केबल ऑपरेटर से कह कर इसका प्रसारण बन्द करने को कहें और इस उल्लंघन की शिकायत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट अथवा पुलिस कमीशनर को करें।
- इन नियमों का उल्लंघन करनेवाली कम्पनियों को भी लिखकर उनके उल्लंघन के बारे में पूछे एवं नीचे दर्शाये गये लोगों को भी लिखकर इसकी जानकारी दें।

1. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
   ए0 विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली 11001
2. महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ मंत्रालय
   निर्माण भवन, नई दिल्ली – 11001
3. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
   इंजीनियर हॉस्टेल, सेक्टर 3 धुर्वा राँची
4. सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
   इंजीनियर हॉस्टेल, सेक्टर 3 धुर्वा, राँची ।
5. सांसद, राँची, धुर्वा राँची
6. महा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा नामकुम
   स्वास्थ्य मंत्रालय, नामकुम
7. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, एम0 एल0 ए0,
   डिप्टी पारा, राँची
8. उपायुक्त, मोराबादी, राँची
9. सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, राँची
10. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची

Translated By : Shivli Katyayan (5th Yr. Law Std. N.U.J.S. Kolkata), Mrs. P. Jha.
Printed in Hindi by : B.P.N.I, Jharkhand State Branch, Mo. : 9431108193

C. Hub., Krishna Complex, Ratu Road, Mo. : 98351-67652